<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>28.03.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने प्लॉट नंबर 7, सीओएम-I, स्कीम 6, सेक्टर - 7, जागृति विहार, मेरठ में स्थित 69.50 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की निर्मित संरचना के रूप में अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति का निर्माण मेसर्स रंजना एसोसिएट्स के साझेदार पंकज गुप्ता द्वारा दुकानों की अवैध बिक्री से प्राप्त आय से किया गया था। ईडी की जांच में जाली दस्तावेजों का उपयोग करके दुकानों की अवैध बिक्री सहित गंभीर उल्लंघनों का पता चला, जिससे आम जनता को काफी वित्तीय नुकसान हुआ।

ईडी ने नौचंदी पुलिस स्टेशन, मेरठ और मेडिकल कॉलेज पुलिस स्टेशन, मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो जाली दस्तावेजों का उपयोग करके अपने साझेदार पंकज गुप्ता के माध्यम से मेसर्स रंजना एसोसिएट्स द्वारा वाणिज्यिक भूखंड पर निर्मित दुकानों की धोखाधड़ी से बिक्री से संबंधित मामला था।

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स रंजना एसोसिएट्स में साझेदार के रूप में काम कर रहे पंकज गुप्ता ने उप्र आवास एवं विकास परिषद के साथ किराया- किस्त खरीद समझौते के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया। उन्होंने बिना उचित सहमति के प्लॉट पर अवैध रूप से दुकानें और कार्यालय स्थान बेचे और खरीदारों को अवैध वित्तीय लाभ और गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए जाली बिक्री समझौते बनाए। इन अवैध लेन-देन की आय, जिसकी राशि 69.5 लाख रुपये थी, का उपयोग प्लॉट पर निर्माण के लिए किया गया, जिससे पीएमएलए, 2002 के तहत अपराध की आय (पीओसी) का गठन हुआ। ईडी की जांच से पता चला कि इन कार्यों के कारण अनुबंध का उल्लंघन, आपराधिक गतिविधि और खरीदारों और राज्य प्राधिकरणों को वित्तीय नुकसान हुआ। परिणामस्वरूप, अचल संपत्ति को अब उक्त संपत्तियों के आगे के अपव्यय को रोकने के लिए अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।